भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2494

जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है

टोल गेटों की स्थापना में मानदंडों का पालन न करना

2494. श्री अप्पलनायडू कलिसेट्टी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विगत दस वर्षों में निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन करते हुए स्थापित किये गये टोल गेटों की संख्या कितनी पाई गई है तथा प्रत्येक मामले में राज्य-वार, विशेषकर आंध्र प्रदेश में, क्या सुधारात्मक उपाय किये गये हैं;

(ख) क्या सरकार के पास निर्धारित मानदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गलत तरीके से लगाए गए टोल गेटों की समीक्षा और सुधार करने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) टोल गेटों के गलत स्थान पर स्थापित होने के संबंध में राज्य सरकारों, सांसदों या सार्वजनिक हितधारकों से प्राप्त कुल कितने अभ्यावेदन हैं तथा प्रत्येक अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या सरकार भविष्य में टोल गेटों के गलत स्थान पर स्थापित होने से रोकने के लिए नीति समीक्षा पर विचार कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय यात्रियों पर अनुचित बोझ न पड़े और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी शुल्क प्लाजा भारत के राजपत्र में प्रकाशित संबंधित अधिसूचनाओं के अनुसरण में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 और रियायत करार के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किए गए हैं।

(ग) सरकार को राष्ट्रीय राजमार्गों पर 60 किलोमीटर के भीतर स्थापित किए गए शुल्क प्लाजा को हटाने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। हालांकि, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के नियम 8 के उप-नियम (2) में प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के उसी खंड पर और उसी दिशा में साठ किलोमीटर के भीतर कोई अन्य शुल्क प्लाजा स्थापित नहीं किया जाएगा। उक्त नियमों के परंतुक में कहा गया है कि यदि ऐसा शुल्क प्लाजा किसी स्थायी पुल, बाईपास या सुरंग के लिए शुल्क संग्रहण हेतु है, तो निष्पादन प्राधिकारी जहां आवश्यक समझे, वह लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से साठ किलोमीटर के भीतर और किसी अन्य शुल्क प्लाजा से साठ किलोमीटर के भीतर भी एक अन्य शुल्क प्लाजा स्थापित कर सकता है या रियायतग्राही को स्थापित करने की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण प्रणाली बंद होने के मामले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कहीं भी शुल्क प्लाजा स्थापित किए जा सकते हैं।

(घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड के उपयोग के लिए शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क, संबंधित शुल्क प्लाजा की परियोजना प्रभाव लंबाई के भीतर उसके विशिष्ट स्थान के आधार पर नहीं, बल्कि परियोजना प्रभाव लंबाई के आधार पर वसूला जाता है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली, 2008 के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्गों के स्थानीय और नियमित प्रयोक्ताओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क और मासिक पास में छूट के प्रावधान पहले से ही मौजूद हैं।

*****